न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3773–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–10–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हरदा अपील प्रकरण कमांक 40/2013–14 .

लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र स्व. बालारामजी विश्नोई
निवासी ग्राम नीमगांव
तहसील व जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती श्यामाबाई वि. बालारामजी विश्नोई
निवासी ग्राम नीमगांव
वर्तमान निवासी ग्राम मुरछाल
तहसील खातेगांव जिला देवास .....अनावेदिका

श्री दिलीप मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 दुबे, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, हंडिया के संशोधन पंजी कमांक 46 में पारित आदेश दिनांक 17–8–1984 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 28–8–2014 को 30 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 40/13–14 दर्ज कर दिनांक 7–10–2015 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा 30 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब का कारण दुःख से अवसाद होने से अनावेदिका द्वारा समय–सीमा में अपील प्रस्तुत नहीं करना दर्शाया गया है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । यह भी कहा गया कि 30 वर्ष से लगातार प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम चला आ रहा है, और अनावेदिका द्वारा आवेदक का कब्जा होना भी स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदिका को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका को केवल भरण–पोषण का अधिकार प्राप्त था, इसलिए उसे बटवारा कराने का अधिकार नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अनावेदिका सहित सभी बहनों को 10–10 एकड़ भूमि दी गई है, और 30 वर्ष का विलम्ब माफ करने से प्रकरण की अंतिमता समाप्त नहीं होती है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) मृतक भूमिस्वामी राधा किशन का बालाराम अकेला पुत्र था, और बालाराम का कोई बड़ा भाई नहीं था, जबकि आवेदक ने वसीयतनामा में अपने आपको बड़े भाई बालाराम का बड़ा पुत्र बतलाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर नामांतरण करा लिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी की पत्नी होकर हितबद्ध पक्षकार थी, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी पर दिनांक 17–7–1984 को आदेश पारित करने में अनावेदिका को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है । इस प्रकार नामांतरण नियमों के नियम 27 का उल्लंघन होने से नामांतरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित है, जिसमें समय–सीमा लागू नहीं होती है ।

(3) अनावेदिका वृद्ध होने एवं उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह मानसिक रूप से दुखी थी, जिसका लाभ उठाकर आवेदक द्वारा उसके पति की मृत्यु के तत्काल बाद नामांतरण करा लिया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) आवेदक द्वारा अनावेदिका को परेशान करने से वह अपने भाई के पास रहने चली गई थी, और ग्रामवासियों के हस्तक्षेप के कारण वह उसे 40,000/– रूपये वार्षिक देता रहा है, और जब उसके द्वारा वर्ष 2014 में पैसे देने में आना–कानी की गई एवं अभद्र व्यवहार किया गया, तब दिनांक 17–7–1984 के नामांतरण की जानकारी हुई, अतः अनावेदिका द्वारा तत्काल अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(5) नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 17–7–1984 में अनावेदिका पक्षकार नहीं थी, और न ही उसे किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, ऐसी स्थिति में भी जानकारी के दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1982 आर.एन.417, 2015 आर.एन. 509 (उच्च न्यायालय), 1991 आर.एन. 290, 1982 आर.एन.176, 1995 आर.एन. 27, 2015 आर.एन. 41 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी बालाराम की पत्नी होकर प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 46 पर दिनांक 17–8–1984 को नामांतरण आदेश पारित करने में अनावेदिका को न तो कोई सूचना दी गई है, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । यहां तक प्रकरण में उद्घोषणा भी जारी नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में उसे साक्ष्य से सिद्ध करना अनिवार्य आवश्यकता है, और नामांतरण पंजी पर वसीयतनामा साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो सकता है । अतः इस दृष्टि से तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है कि चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, अतः उसे आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय है । इसके अतिरिक्त पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय–सीमा

लागू नहीं होती है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–10–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर